न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 23 / 2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. दुलाराम पुत्र मानाराम 2. पूनाराम पुत्र शंकरराम 3. तुलछाराम पुत्र मिश्रीराम 4. बाबूराम पुत्र चोथाराम 5. तेजाराम पुत्र फुसाराम निवासी– करेला, तहसील आउ जिला जोधपुर।		1. राज्य जरिये तहसीलदार, आउ जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा आदेश कमांक प्र.ग. सं / 2021 / 69 दिनांक 14.10.2021 को पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः07 फरवरी, 2022

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा आदेश कमांक प्र.ग.सं / 2021 / 69 दिनांक 14.10.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक तहसीलदार आउ के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के ग्राम केरला में आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2021 कैम्प में धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए ग्राम केरला में आई हुई विभिन्न खसरान की हिस्सा भूमि में चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आरही भूमियों के साथ–साथ अपीलार्थी के भूमि ख0सं0 11 व 10 की रकबा भूमि में से 0.1619 एवं 0.1780 हैक्टर भूमि को गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा सुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में अमल–दरामद किये जाने की अनुशंसा की। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त वर्णित खसरान की रकबा को रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 14.10.2021 को पारित किया है जों अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट व्यथित होने से अपील प्रस्तुत कर रहे है।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा आयोजित शिविर में पत्रावली ले जाकर आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया एवं उसकी भूमि में से रास्ता दर्ज करने का आदेश दे दिया। इसके अतिरिक्त रास्ता अभियान हेतु जिस परिपत्र को जारी किया गया है उसमें ऐसी कोई मंशा नहीं है एवं नहीं ही ऐसे कोई निर्देश दिये हुए है। उक्त परिपत्रों की आड में खातेदार के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि रास्ते सम्बन्धी कार्यवाही हेतु धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पहले से ही प्रावधान दिये हुए है। ऐसे में उक्त अधिनियम की मूल भावना से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी की खसरान भूमि में से कोई रास्ता कभी चलता ही नहीं था न ही कभी किसी को रास्ते की आवश्यकता भी न ही किसी व्यक्ति के द्वारा रास्ते की मांग की गई। अधिनस्थ न्ययालय ने पटवारी की एकतरफा जॉच रिपोर्ट भी हितबद्ध व भूमि के खातेदारान की गैर गौजूदगी में एकपक्षीय तैयार की गई थी, को आधार मानकर फेसला किया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश जो कि अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं उनका पक्ष जाने बिना ही पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है साथ ही उनके खसरा संख्या 10 व 11 की भूमि को दो टुकडों में बांटने के उददेश्य से की गई है अन्यथा न तो ख0सं0 10 व 11 में मौके पर कोई रास्ता चलता रहा है न कोई रास्ते की आवश्यकता रही है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2021 को निरस्त किया जावें।

5. हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित ग्राम केरला के ख0सं0 10 व 11 में से कमशः 0.1619 एवं 0.1780 हैक्टर भूमि को गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा सुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में अमल–दरामद किये जाने जो प्रशासन ग्रामों के संग अभियान,2021 के कैम्प में दिनांक 14.10.2021 को जो आदेश पारित किया है जिसमे

अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही पारित किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है और भूमि की मौका रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई है जिस पर उनके हस्ताक्षर नहीं करवाये गये, ऐसे में जो अपीलाध्धीन आदेश दिया है वह भी विधि अनुरूप नहीं है।

6. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में उक्त प्रकार से तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है।

7. इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की अंकित खसरान भूमि के सम्बन्ध में मौके की रिपोर्ट की उपस्थिति में तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में अपीलार्थी की रकबा भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी को मौके पर उपस्थित रखते हुए मौका रिपोर्ट तैयार करने के उपरान्त उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 7 फरवरी, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय डिविजनल कमिश्नर
सत्यमेव जयते
जोधपुर

7/2/2022

(डॉ० नीरज [illegible])
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर